न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-18, बाराबंकी।
चालानी वाद
राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 09.05.2026

उक्त वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। उक्त वाद से सम्बंधित वाहन का चालान मूलतः 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व का है। तथा लघु अपराध (पिटी अफेन्सेस) की श्रेणी का है। जिसके सम्बंध में **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित विधायी परिशिष्ट भाग–2 खण्ड (क)(उत्तर प्रदेश अध्यादेश) के संख्या की 22/79–1–2023–2 क–2–2023 लखनऊ दिनांकित 22.03.2023** की अधिसूचना द्वारा दिनांक 31.12.2021 से पूर्व के समस्त अपराधो का शमन व विचारणों का उपशमन किये जाने के दिशा निर्देश निर्गत किये हैं. जिसके सम्बंध मे माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या–**1651/एसएलएसए–127/2022 (ऋ–सरन) दिनाकित–19 मई बावत उत्तर प्रदेश विधि (अपराधो का शमन और विचारणो का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश 2023** के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त न्यायालयों को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–5227/APAar–DJ Cell/Allahabd Dated 02.05.2025 में भी समस्त पिटी अफेन्स को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित–10.05.2025 में निस्तारित करनें के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः उक्त शासनादेश विधायी संशोधन में दिये गये दिशा–निर्देशों, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण की कार्यवाही को उपशमित किया जाना न्यायोचित है ।

आदेश

तदनुसार प्रश्नगत प्रकरण की कार्यवाही उत्तर प्रदेश अध्यादेश/विधायी परिवर्तन के अधीन उपशमित की जाती है ।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित ए०आर०टी०ओ०/यातायात कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो ।

(सुधा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं. 18, बाराबकी।